कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांकः– एफ–6 (   ) आ.राज.(सा.प्र.)/ननिज/2014/ 60   दिनांकः– 21/5/14

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि (जयपुर शहर की चारदीवारी को छोड़कर) नगर निगम जयपुर के निम्न जोनवार सीमा क्षेत्र में निजी/व्यावसायिक भवनों/प्रतिष्ठानों जिनमें सिनेमा हॉल, पेट्रोल पम्प शामिल हैं पर किए गए विज्ञापनों का विज्ञापन शुल्क विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत निर्धारित नियमों, शर्तों एवं दरों के अनुसार वसूली का ठेका तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) के लिए दिया जा सकेगा। जोन के सामने अंकित दिनांक को प्रातः 11:00 बजे से अंतिम बोली समाप्त होने तक नगर निगम जयपुर मुख्यालय लालकोठी पर वित्तीय वर्ष 2014–15 (एक वर्ष) हेतु खुली नीलामी बोली जोनवार पृथक–पृथक आयोजित की जावेगी। नीलामी बोली एक वित्तीय वर्ष (वर्ष 2014–15) हेतु जोनवार लगाई जावेगी। आगामी वर्षों के लिए शर्तों के अनुसार स्वीकृत ठेका राशि में वृद्धि की जावेगी।

क्र.सं.	जोन का नाम	अमानता राशि (रू.)	नीलामी बोली दिनांक
1.	मानसरोवर जोन	7,09,000	22.05.2014
	सांगानेर जोन	7,09,000	
	आमेर जोन	1,42,000	
	हवामहल जोन पूर्व	91,000	
2.	सिविल लाईन जोन	21,30,000	23.05.2014
	विद्याधर नगर जोन	21,30,000	
	मोतीडूंगरी जोन	14,20,000	

नोट :–

1. इच्छुक बोलीदाता को प्रत्येक जोनवार अमानता राशि बोली लगाने से पूर्व नगर निगम जयपुर के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक प्रस्तुत करना होगा तथा बोलीदाता फर्म अथवा बोली के लिए अधिकृत व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र, आयकर रिटर्न बोली से पूर्व नगर निगम जयपुर को जमा कराना होगा।
2. निविदा की शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा अपनी उच्चतम बोली की 1/4 राशि बोली राशि समाप्त होने के पश्चात अगले कार्य दिवस में सायं 4:00 बजे तक नगद/डीडी द्वारा जमा करानी होगी।
4. खुली नीलामी बोली की तिथि को कोई राजकीय अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस को खुली नीलामी बोली रहेगी।
5. विज्ञापन शुल्क वसूली की दरें व शर्तें नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipur.mc.org पर उपलब्ध रहेगी।
6. नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर के सक्षम प्राधिकारी को होगा।
7. नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है जिसका आइड़ेन्टिटी प्रूफ देना होगा। एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
8. नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपिः–

1- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के नियमों के अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें ।

2- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावे।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

D:\F\OM PRAKASH MEENA 04-07-86\RO sir\RO Sir Letter 2013 (1).doc